

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2323/2007/जयपुर
मैसर्स इण्डियन होटल कम्पनी लिमिटेड,
जयपुर

..अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त
विशेष वृत्त, राजस्थान, जयपुर

..प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक
श्री रामकरण सिंह
राजकीय उप अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 06.10.2015

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा उपायुक्त(अपील्स)तृतीय,वाणिज्यिक कर, जयपुर(जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 179/सीएसटी/1999-00/जी/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 13.06.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-पंचम, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपीलार्थी व्यवसायी के वर्ष 1997-1998 का कर निर्धारण राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) सपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 9 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 03.08.1999 को पारित कर केन्द्रीय अधिनियम धारा 10(ए) के अन्तर्गत शास्ति रू. 2,14,750 आरोपित की है, को यथावत रखा है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवसायी फर्म का वर्ष 1997-98 का कर निर्धारण करते समय जांच पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पाया गया कि अपीलार्थी व्यवसायी ने आलोच्य अवधि में घोषणा पत्र एस टी 18ए व सी फार्मों के विरुद्ध राज्य के बाहर से कम्प्यूटर, डीजल, इंजन स्टार्टर व चेयर एण्ड टेबल का आयात किया है। केन्द्रीय विक्रय कर नियम, 1957 के नियम 12(1) के अनुसार व्यवहारी 5 प्रयोजनों हेतु घोषणा पत्र 'सी' पर सामान का आयात कर सकता है यथा पुनः विक्रय, विक्रय के लिए माल बनाने के लिए या प्रसंस्करण हेतु, खनन में उपयोग, शक्ति उत्पादन-वितरण व विक्रय- पुनः विक्रय के लिए माल के पैक करने के लिए। परन्तु अपीलार्थी व्यवसायी ने उक्त सामान का आयात उक्त पांचों वर्णित प्रयोजनों में नहीं आता है। उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी व्यवसायी को विस्तृत नोटिस जारी किया गया तथा नोटिस में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया कि कारण स्पष्ट करें कि क्यों ना 'सी' प्रपत्रों के दुरुपयोग के लिए केन्द्रीय अधिनियम की धारा 10 (ए) के

अन्तर्गत शास्ति का आरोपण किया जाये ? उक्त नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त माल के खरीद मूल्य रु. 11,93,056/- पर का का डेढ गुना अर्थात् 18 प्रतिशत (आईटम कम्प्यूटर मशीन, डीजल, इंजन स्टार्टर व चैयर एण्ड टेबल पर 12 प्रतिशत की दर के हैं) की दर से केन्द्रीय अधिनियम की धारा 10(ए) के अन्तर्गत शास्ति रु. 2,14,750/- आरोपित की। उक्त शास्ति के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने आरोपित शास्ति को यथावत रखते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.06.2007 पारित किया, जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थी व्यवसायी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी शास्ति आरोपित करने हेतु अधिकृत नहीं है क्योंकि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 10 (ए) के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण जारी किये जाने हेतु अधिकृत अधिकारी ही शास्ति आरोपित करने हेतु अधिकृत है। उनका कथन है कि उक्त तथ्यों के प्रकाश में विवादित आदेश अविधिक है। अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम हिन्दुस्तान रेडियेशन (62 एस टी सी 374) निर्णय दिनांक 26.08.1985, कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1039/004/जोधपुर सहायक आयुक्त, विशेष वृत, जोधपुर बनाम मैसर्स इण्डियन रेयन्स, जोधपुर (13 टैक्स अपडेट 182), अपील संख्या 868/2003/कोटा मैसर्स जे.के. सिन्थेटिक्स लिमिटेड, कोटा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत-द्वितीय, कोटा (17 टैक्स अपडेट 36), अपील संख्या 1598/2007/जयपुर निर्णय दिनांक 19.08.2008 मैसर्स इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, भिवाडी बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत, राजस्थान, जयपुर (22 टैक्स अपडेट 56) एवं कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 642/2002/जयपुर मैसर्स एम्पायर स्टोर एजेन्सीज, जयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड द्वितीय, वृत-बी, जयपुर, निर्णय दिनांक 30.06.2006 के न्यायिक दृष्टान्तों को उद्धरित करते आरोपित शास्ति को अपास्त करने का निवेदन किया।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रार्थी व्यवसायी के पंजीयन प्रमाण पत्र में कर की गयी वस्तुओं का अंकन नहीं होने के आधार पर धारा 10ए के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को उचित बताया तथा अपीलाधीन व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।




दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार अपीलार्थी व्यवसायी फर्म के वर्ष 1997-98 का कर निर्धारण करते समय जांच पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पाया गया कि अपीलार्थी व्यवसायी ने आलोच्य अवधि में घोषणा पत्र एस टी 18ए व सी फार्मों के विरुद्ध राज्य के बाहर से कम्प्यूटर, डीजल, इंजन स्टाटर व चेयर एण्ड टेबल का आयात किया है। केन्द्रीय विक्रय कर नियम, 1957 के नियम 12(1) के अनुसार व्यवहारी 5 प्रयोजनों हेतु घोषणा पत्र 'सी' पर सामान का आयात कर सकता है यथा पुनः विक्रय, विक्रय के लिए माल बनाने के लिए या प्रसंस्करण हेतु, खनन में उपयोग, शक्ति उत्पादन-वितरण व विक्रय- पुनः विक्रय के लिए माल के पैक करने के लिए। परन्तु अपीलार्थी व्यवसायी के उक्त आयातित सामान उक्त पांचों वर्णित प्रयोजनों से किसी में भी समाविष्ट नहीं होता है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त माल के खरीद मूल्य रु. 11,93,056/- पर कर का का डेढ गुना अर्थात् 18 प्रतिशत (आईटम कम्प्यूटर मशीन, डीजल, इंजन स्टाटर व चेयर एण्ड टेबल पर 12 प्रतिशत की दर के हैं) की दर से केन्द्रीय अधिनियम की धारा 10(ए) के अन्तर्गत शास्ति रु. 2,14,750/- आरोपित की है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अविधिक बताते हुए बहस के दौरान न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला दिया है, जिनमें निम्न मत प्रतिपादित किया गया है :-

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, वृत्त-द्वितीय, जयपुर बनाम राजस्थान बुलियन, जयपुर (28 टैक्स अप डेट 19) में माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ ने पंजीयन प्रमाण पत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट) को निरस्त करने हेतु कर वंचना शाखा के अधिकारियों की अधिकारिता नहीं मानी है, के सिद्धान्त को अवधारित किया है।

इसी क्रम में, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम हिन्दुस्तान रेडियेटर (62 एस टी सी 374) के निर्णय में हाईड्रोलोरिक एसिड को प्रविष्टि को पंजीयन प्रमाण पत्र में रेडियेटर के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रमाण पत्र में दर्ज किये जाने के कारण, इसकी स्वीकार्यता को विभाग के लिए बाध्यकारी माना है, जब तक कि उक्त प्रविष्टि प्रमाण पत्र में निरस्त अथवा संशोधित नहीं की जाती। इसी प्रकार वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम एल्कोबेक्स मेटल कारपोरेशन (86 एस टी सी 150) के निर्णय में भी उपरोक्त उद्धृत वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम हिन्दुस्तान रेडियेटर में दिये गये निर्णय दिनांक 26.08.1985, को उद्धृत करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने पंजीयन प्रमाण पत्र में प्रविष्टि के आधार पर धारा 5(सी)(2) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को निरस्त किया गया है।



विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.06.2007 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्टेट आफ यू.पी. बनाम मैसर्स डायर कीकिन ब्रेवरीज लिमिटेड ((1973) 31 एस टी सी 588) में पारित निर्णय 08.03.1973 में प्रतिपादित मत के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को यथावत रखा है।


माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि किसी व्यवहारी की किसी अवधि विशेष के कर निर्धारण हेतु कोई कर निर्धारण अधिकारी सक्षम है तो वही अधिकारी उस अवधि के दौरान उस व्यवहारी द्वारा किये गये किसी अभियोग पर शास्ति आरोपण हेतु भी सक्षम है एवं शास्ति का आरोपण विधिक है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त का सारगर्भित अंश उद्धरित किया जाना समीचीन होगा :-

".....If the Sales Tax Officer was competent to levy sales tax on the assessee in respect of those assessment years, he was equally competent to levy penalty on the assessee in respect of the offences committed during those years. In our opinion, the High Court did not properly appreciate the legal position in this case. The High Court was wrong in thinking that the proceedings initiated on January 8, 1960, stood terminated as a result of the subsequent notices issued by the Sales Tax Officer. The notices issued by him are not statutory notices. Under section 10-A of the Act, the Sales Tax Officer was only required to give reasonable opportunity to the assessee to show cause why penalty should not be imposed on him."

उपरोक्त विवेचित तथ्यों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त वर्णित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्तानुसार हस्तगत प्रकरण में विवादित आदेश पारित किये जाते समय सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, विशेष वृत्त पंचम, जयपुर का अपीलाधीन व्यवहारी पर क्षेत्राधिकार होने के कारण उस पर आरोपित की गई शास्ति विधिक रूप से उचित है। अपीलीय अधिकारी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के आलोक में आरोपित शास्ति को यथावत रखा है, जिसमें हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं होगा।

फलतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.06.2007 को यथावत रखते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य